कोर्ट फी 20 रु. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

कोर्ट फी 5 रु. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

कोर्ट फी 5 रु. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

(1)

निगरानी प्रकरण क्र.–   /2018 (119)

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर केम्प इंदौर के समक्ष

निगरानी – 5739/2018/खण्डवा/भू.रा.

श्री प्रदीप कुमार पिता प्रेमकुमार केप्रिहन
निवासी– 1बी, आनंद नगर, खण्डवा तह.एवं
जिला खण्डवा (म.प्र.) ...प्रार्थी

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा
कलेक्टर महोदय जिला खण्डवा ...प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता

इसमे प्रार्थी श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर द्वारा प्रकरण क्र.0473/अपील/2017–18 मे पारित आदेश दिनांक 14/05/2018 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारो पर निगरानी प्रस्तुत करता है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी- 5739 /2018/खण्डवा/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-9-18	आवेदक की ओर से श्री बी0के0गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राहयता पर सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण क्रमांक 473/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 14-5-2018 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 में अदम पैरवी में पारित आदेश के अन्तर्गत आवेदक अपर आयुक्त न्यायालय में नियमानुसार रेस्टोरेशन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र है अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	